


58) 15 / अक्टूबर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकमकी तामील में जारी हुए
3.8.15	<p><b>श्री. डी. डे. मीणा, अध्यक्ष</b>  <b>श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</b></p> <p>अपीलाधीन अतिमापक श. अलमेशा शरी व प्रत्यक्ष विभाग के OPA SH आर.के. अलमेशा उपस्थित। वित्तिय प्रकृत पर प्र अग्रपक्ष की वरत सुनी गयी। कर कोर्ट की सम्बन्ध पी 6 कल पूर्व में (12) हजार रु. देकर दिनांक 5.1.15 व 12.5.15 की अवधि <del>अवधि</del> दिनांक 31.8.15 तक बढ़ायी जाती है। आर.के. अपीलधीन प्राधिकारी को यह निर्देश दिदे जाते है कि वे दिनांक 31.8.15 तक परामर्शगत कादेश परीच करें।</p> <p>निर्णय शुभान् 21/15)</p> <p>  3-8-2015</p> <p>सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</p> <p>26/8  अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	